प्रेस नोट दिनांक 14.03.2026

थाना बारादरी जनपद बरेली

नाबालिग से देह व्यापार कराने वाले गैंग का थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा पर्दाफाश, गैंग की सरगना सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बारादरी पुलिस द्वारा मानव तस्करी एवं अवयस्क लड़की से देह व्यापार कराने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग की सरगना सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से देह व्यापार में प्रयुक्त एक स्कूटी (बिना नम्बर प्लेट), पीड़िता का फर्जी तरीके से संशोधित आधार कार्ड तथा 03 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

दिनांक 13.03.2026 को देर रात्रि एक नाबालिग डरी-सहमी अवस्था में थाना बारादरी पर उपस्थित हुई। उसने पुलिस को बताया कि वह जनपद वाराणसी की रहने वाली है तथा घर वालों की डांट से क्षुब्ध होकर जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में घर से निकल गई थी। वाराणसी रेलवे जंक्शन पर उसकी मुलाकात रिया नामक महिला से हुई, जिसने उसे अपने पास कुछ दिनों तक रखा और बाद में बरेली लाकर एक अन्य महिला को बेच दिया। उक्त महिला ने अपने गैंग के साथ मिलकर पीड़िता को देह व्यापार में धकेल दिया। पीड़िता को कमरे में बंद रखा जाता था तथा नाबालिग होने के बावजूद उसे बालिग दिखाने के लिए उसका फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया, जिसके माध्यम से विभिन्न होटलों में ग्राहकों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। पीड़िता की सूचना पर थाना बारादरी पर रिया सहित 06 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता का बयान दर्ज कर उसे मेडिकल परीक्षण हेतु जिला महिला अस्पताल भेजा गया।

सूचना एवं कार्यवाहीः-

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग की मुख्य अभियुक्ता बबली सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता बबली यादव के कमरे से पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ। शेष अभियुक्त रिया एवं खलील खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जांच में यह भी प्रकाश में आया कि पीड़िता के लापता होने के संबंध में उसके पिता द्वारा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी में मु0अ0सं0 24/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 08.01.2026 को पंजीकृत कराया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पुलिस तथा पीड़िता के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

बबली पत्नी खलील खान नि0 चनैहटी थाना कैण्ट जनपद बरेली उम्र 40 वर्ष

विनोद यादव पुत्र रूम सिंह नि0 कुईया खेडा थाना फरीदपुर जनपद बरेली उम्र 29 वर्ष

जसलीन कौर पत्नी स्व0 अमरजीत सिंह नि0 कल्लू वाला थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर उम्र 36 वर्ष

दुर्गालावती पुत्री अग्नी बहादुर लावती नि0 याशोक जिला पाँचथर कुमायत नेपाल उम्र 34 वर्ष

अभियुक्ता बबली का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0 303/2026 धारा 98/99/127(2)/143(3)/144(1)/115(2)/337 BNS तथा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट, धारा 05 अनैतिक व्यापार निवारण अधि0 1956 अभियोग थाना बारादरी बरेली
- मु0अ0सं0 286/2023 धारा 120बी/363/366/376(2)(एन) IPC व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व 16/17/5(L)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कैण्ट जनपद बरेली
- मु0अ0सं0 103/2022 धारा 363/366/376(2)(n)376(3) IPC, 3/4/5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना कैण्ट जनपद बरेली
- मु0अ0सं0 466/2023 धारा 376(2)(एन)/506 IPC व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना सुभाष नगर जनपद बरेली ।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 303/2026 धारा 98/99/127(2)/143(3)/144(1)/115(2)/337 बीएनएस तथा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट एवं धारा 05 अनैतिक व्यापार निवारण अधि0 थाना बारादरी जनपद बरेली

विवरण बरामदगीः-

देह व्यापार में प्रयुक्त एक स्कूटी (बिना नम्बर प्लेट)

पीड़िता का फर्जी संशोधित आधार कार्ड

03 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि यह एक संगठित गिरोह है, जो होटलों एवं रेस्टोरेंटों में घंटों के हिसाब से लड़कियों को ग्राहकों के पास भेजकर उनसे शारीरिक शोषण कराता था। गिरोह की सरगना बबली ग्राहकों से संपर्क कर सौदा तय करती थी, जबकि विनोद, खलील खान, जसलीन कौर व दुर्गालावती स्कूटी से लड़कियों को होटल तक लाने-ले जाने का कार्य करते थे तथा उनके आसपास मौजूद रहते थे, ताकि वे भाग न सकें। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने उक्त अवयस्क लड़की को रिया नामक महिला (जनपद वाराणसी) से खरीदा था और उसे देह व्यापार में लगा दिया था, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा था। पुलिस जांच से बचने के उद्देश्य से जन सेवा केंद्र संचालक विनय नामक व्यक्ति से पीड़िता के आधार कार्ड में जन्मतिथि 2011 के स्थान पर 2007 दर्ज कराकर फर्जी संशोधन कराया गया, ताकि उसे बालिग दिखाया जा सके। प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस टीम का विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक श्री धनन्जय कुमार पाण्डेय थाना बारादरी जनपद बरेली

व0उ0नि0 श्री ब्रह्मपाल सिंह थाना बारादरी जनपद बरेली

उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना बारादरी जनपद बरेली

म0उ0नि0 रितु राठी थाना बारादरी जनपद बरेली

हे0कां0 चेतन सिंह थाना बारादरी जनपद बरेली

हे0कां0 बृजेश सिंह थाना बारादरी जनपद बरेली

म0कां0 गुलशन थाना बारादरी जनपद बरेली